राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(**दूरभाष नं.**:—0141—2740837, **फैक्स** 0141—2742309, **ई मेल**:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:— एफ4(ई)(1)(6)/अलेसे—III/290 **दिनांक:**— 9-6-2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हनुमानराम मेरिट संख्या 1642/2013 को विभागीय आदेश संख्या 66/2017—18 क्रमांक एफ.4(ई)(1)(6) अलेसे—III/352 दिनांक 30.06.2017 से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन अभ्यार्थी के विरूद्ध न्यायिक/आपराधिक प्रकरण लम्बित होने के फलस्वरूप आदेश संख्या 416 दिनांक 12.07.2017 से आगामी आदेशों तक नियुक्ति आदेश को आस्थगित किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15899/2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2023 की पालना में वित्त (राजस्व) विभाग की डायरी संख्या 1747 दिनांक 31.05.2023 से नियुक्ति हेतु प्राप्त सहमति के क्रम में आस्थगन आदेश संख्या 416 दिनांक 12.07.2017 को Withdraw कर श्री जगदीश कुमार को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर कार्यालय में पदस्थापित कर निर्देशित किया जाता हैं कि विभाग/कार्यालय में शीघ्र कार्यग्रहण कर तुरन्त सूचित करावें।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय के अनुसार श्री जगदीश कुमार को दिनांक 30.06.2017 को जारी प्रथम नियुक्ति आदेशों के क्रम में समान अभ्यार्थियों की कार्यग्रहण तिथि के अनुसार काल्पनिक लाभ (Notional Benefits) देय होगा, लेकिन नगद वित्तीय लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा, शेष शर्ते मूल नियुक्ति आदेश के अनुसार यथावत रहेगी।

उक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित शपथ—पत्र एवं पुलिस सत्यापन के अध्यधीन रहेगी।

(हस्ताक्षर)
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— एफ4(ई)(1)(6)/अलेसे—III/290 **दिनांक:**— 9-6-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर लेख हैं कि उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावें।
5. संबंधित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री/श्रीमती/सुश्री .... को पालनार्थ कर लेख है कि वांछित शपथ—पत्र (दहेज धूमपान, मद्यपान, बच्चों की सूचना) व पुलिस सत्यापन दस्तावेज निदेशालय में प्रस्तुत करावें।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—II/III)